कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून

संख्या- 6114 /आ०श०/मदिरा दुकान व्यवस्थापन/2024-25/दे०दून,दिनांक:मार्च 13, 2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः- 24972/सात लाई०एस०-47/व्यव० /2024-25/सा०निर्देश/विज्ञप्ति/देहरादून, दिनांक 29.02.2024 के क्रम में आबकारी नीति 2024 के बिन्दु सं0 1.1 (2) नवीनीकरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों हेतु जनपद के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष, अवशेष राजस्व को सम्बन्धित मदिरा दुकानों मे पुर्ननिर्धारित करते हुए नीति मे दी गई प्रक्रिया के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि हेतु जनपद देहरादून की 10 विदेशी तथा 03 देशी (कुल 13) मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन लाटरी के माध्यम से किया जाना है। जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये जनपद देहरादून में अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का राजस्व विवरण निम्नवत है-

विदेशी मदिरा

क0 सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	एमजीडी	एक माह का MMGD	प्रतिभूति धनराशि (दो माह)	धरोहर धनराशि 2.5 प्रतिशत	वांछित हैसियत की धनराशि कुल राजस्व का 15 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डालनवाला (परेड ग्राउण्ड)	85730358	857000	84873358	7072780	14145560	2143259	12859554
2	चकराता रोड-1 (निकट-किशन नगर चौक)	103241416	1032000	102209416	8517452	17034904	2581035	15486213
3	कुलडी-2	28500000	285000	28215000	2351250	4702500	712500	4275000
4	विकासनगर	66412370	664000	65748370	5479031	10958062	1660309	9961856
5	जाखन, राजपुर रोड	101016599	1010000	100006599	8333884	16667768	2525415	15152490
6	कुल्हाल (कुन्जा)	7500000	75000	7425000	618750	1237500	187500	1125000
7	सहिया	7500000	75000	7425000	618750	1237500	187500	1125000
8	कोटी	1800000	18000	1782000	148500	297000	45000	270000
9	शास्त्रीनगर (निकट रिस्पना पुल)	101016599	1010000	100006599	8333884	16667768	2525415	15152490
10	निरंजनपुर	88278277	883000	87395277	7282940	14565880	2206957	13241742

देशी मदिरा

क0 सं0	देशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	एमजीडी	एक माह का MMGD	प्रतिभूति धनराशि (दो माह)	धरोहर धनराशि 2.5 प्रतिशत	वांछित हैसियत की धनराशि कुल राजस्व का 15 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	करनपुर (परेड ग्राउण्ड)	30000000	300000	29700000	2475000	4950000	750000	4500000
2	आई0एस0बी0टी0	30000000	300000	29700000	2475000	4950000	750000	4500000
3	जीवनगढ़	4300000	43000	4257000	354750	709500	107500	645000

दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि हेतु नवीनीकरण के पश्चात अवशेष 10 विदेशी तथा 03 देशी (कुल 13) मदिरा की फुटकर दुकानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम चरण (लॉटरी) के माध्यम से व्यवस्थापित किये जाने के लिये कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।:-

क्र०सं०	विवरण		दिनांक व समय
01	प्रथम चरण लाटरी	लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारम्भ)	दिनांक 14.03.2024
		लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	16.03.2024 सायं 5:00 बजे तक
		लॉटरी की तिथि	दिनांक 19.03.2024 के प्रातः 10:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक

Scanned with CamScanner

अतः इच्छुक व्यक्ति निम्नानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए मदिरा दुकानों हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2024 को सांय 05.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून में जमा करना सुनिश्चित करें:–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
3. आवेदन शुल्क रूपये 65000/–(नॉन रिफन्डेबल) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के नाम देय होगा।
4. निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत होगा का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के नाम देय होगा।
5. आवेदक/सह आवेदक का आधार कार्ड।
6. आवेदक/सह आवेदक का पेन कार्ड।
7. आवेदक/सह आवेदक का दो वर्ष का आई0टी0आर0 (आबकारी नीति 2024–25 के बिन्दु संख्या–3.4 के अनुसार)।
8. आवेदक/सह आवेदक का मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
9. मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 15 प्रतिशत के बराबर के हैसियत प्रमाण पत्र।

समस्त दस्तावेज सत्यापित/स्व प्रमाणित होने आवश्यक हैं। आबकारी नीति 2024–25 के बिन्दु संख्या–3.20 के अनुसार जो आवेदक चयनित होगा उसे आवेदित दुकान की लाईसेंस फीस तत्काल जमा करना होगा। तत्काल अनुज्ञापन शुल्क नहीं जमा करने वाले आवेदक का चयन निरस्त माना जायेगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसी समय प्रश्नगत दुकान का आवंटन शेष आवेदकों से लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से पुनः चयन किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक दुकान का आवंटन सम्पन्न न हो जाये। लॉटरी/चयन प्रक्रिया के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। अनुपस्थिति की दशा में यदि चयन निरस्त होता है तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। अन्य शर्तें आबकारी नीति 2024–25 के अनुसार लागू होंगी। आबकारी नीति 2024 के बिन्दु सं0 3.17 (1) के अनुसार प्रथम चरण (लॉटरी) हेतु सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवासी पात्र होगा। अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों एवं विभागीय वैबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in से प्राप्त कर सकते है।

(राजीव सिंह चौहान)
जिला आबकारी अधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in में अपलोड करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा तथा युगवाणी को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 14.03.2024 के उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(राजीव सिंह चौहान)
जिला आबकारी अधिकारी
देहरादून।

Scanned with CamScanner